हर इंसान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

समता आन्दोलन स

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढा

Website :www.samtaandolan.co.in

Email :samta

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

मान
सं

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 6569

दिनांक : 24.06.2023

श्रीमान राज्यपाल महोदय,
राजस्थान सरकार,
राजभवन,
जयपुर ।

विषयः– किसी भी सेवा संवर्ग में नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी करते समय आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व घोषित किया जाना अनिवार्य करने के बाबत।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के प्रावधानों के अधीन किसी भी सेवा संवर्ग में आरक्षण का प्रावधान करने से पूर्व संबंधित आरक्षित वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व संख्यात्मक आंकड़ों से प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों के अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि यदि किसी सेवा संवर्ग में किसी आरक्षित वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व संख्यात्मक आंकड़ों से प्रमाणित नहीं किया जाता है तो किसी भी सरकार को किसी भी आरक्षित वर्ग के कोई आरक्षण प्रावधान करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखने में आया है कि किसी भी सेवा संवर्ग की नियुक्ति प्रकिया शुरू करते समय या उसकी विज्ञप्ति जारी करते समय राज्य द्वारा उपरोक्त अनिवार्य शर्त की पालना किये बिना आंख मूंद कर आरक्षण के प्रावधान किये जा रहे है। जो कि पूर्णतया अविधिक और अंसवैधानिक है।

अतः श्रीमान से यह निवेदन है कि:–

1. किसी भी सेवा संवर्ग में नियुक्ति प्रकिया चालू करने से पूर्व उस सेवा संवर्ग में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संख्यात्मक आंकड़े अनिवार्य रूप से जुटाये जाए।
2. उस सेवा संवर्ग के विभाग से संबंधित सचिव अथवा प्रमुख शासन सचिव द्वारा संख्यात्मक आंकड़े अंकित करते हुये यह प्रमाणपत्र जारी किया जावें कि उस सेवा संवर्ग में अमुक आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त होने के कारण आरक्षण प्रावधान किया जाना समुचित है।
3. उपरोक्तानुसार प्रमाणपत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का जो संख्यात्मक आंकड़ों से आधार दिया गया है उन संख्यात्मक आंकड़ों को नियुक्ति की विज्ञप्ति में भी प्रकाशित किया जाना अनिवार्य किया जाए।
4. यह भी स्पष्ट निर्देश जारी करवाये जावें कि किसी आरक्षित वर्ग का किसी सेवा संवर्ग में प्रतिनिधित्व निर्धारित करते समय उस आरक्षित वर्ग के आरक्षित पदों और अनारक्षित पदों पर कार्यरत सभी कार्मिकों की संख्या को जोड़ कर ही पर्याप्त अथव अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया जावे।

कृपया उपरोक्तानुसार बाध्यकारी निर्देश जारी करके संवैधानिक प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न संविधान पीठों के निर्णयों की समुचित पालना सुनिश्चित करवाने का अनुग्रह करें। त्वरित सकारात्मक कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद।

भवदीय,

पाराशर नारायण
अध्यक्ष